

अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति-30प्र0/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01 मार्च, 2024 को 30प्र0 राज्य गंगा समिति/गवर्निंग काउन्सिल की सम्पन्न 13वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सम्बन्धित विभागों के उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2- बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त एजेण्डावार निम्नवत् मत स्थिर किया गया:-

एजेन्डा बिन्दु	बैठक में स्थिर किया गया मत/निर्देश
एजेन्डा बिन्दु संख्या-1 राज्य गंगा समिति-30प्र0 की दिनांक 16 सितम्बर 2023 को सम्पन्न 11वीं बैठक एवं दिनांक 04 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति, 30प्र0 द्वारा दिनांक 16.09.2023 एवं 04.12.2023 को सम्पन्न बैठक विषयक कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेन्डा बिन्दु संख्या-2 • राज्य गंगा समिति-30प्र0 की दिनांक 16 सितम्बर 2023 को सम्पन्न 11वीं बैठक निर्णयों पर की गई कार्यवाही की आख्या। • दिनांक 04 दिसम्बर 2023 को सम्पन्न 12वीं बैठक के दोनों बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही की आख्या।	• दिनांक 16.09.2023 को राज्य गंगा समिति, 30प्र0 द्वारा लिये गये निर्णयों पर संतोष व्यक्त किया गया। • बैठक में अयोध्या विकास प्राधिकरण एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही-अयोध्या/वाराणसी विकास प्राधिकरण)
एजेन्डा बिन्दु संख्या-3 छोटी नदियों का कार्याकल्प: मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार चिह्नित विलुप्तप्राय नदियों का पुनरुद्धार।	प्रदेश में छोटी नदियों के पुनरुद्धार सम्बन्धी किये गये कार्यों को दर्शाने के लिए तैयार की गई सायूमैट्री के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अयोध्या जनपद में बिसुही नदी को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो/फोटो प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश)
एजेन्डा बिन्दु संख्या-4 गंगा किनारे के जनपदों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं की	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

अद्यतन स्थिति। एजेन्डा बिन्दु संख्या-5 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे अशोधित नालों की निगरानी, सीवरज शोधित संयंत्रों की निगरानी एवं गंगा व उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति।	• 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा व उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु स्थापित किये गये मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्राप्त हो रहे आंकड़ों से जल में हो रहे प्रदूषण के सुधार के सकारात्मक प्रभाव के आंकलन की स्पष्ट आख्या प्रस्तुत न किये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि पुनः विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों पर जल प्रदूषण के स्तर की एनालिसिस करते हुए प्रदूषण का ट्रेन्ड एवं कारकों का विवरण तैयार किया जाये, जिसका प्रस्तुतीकरण सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 द्वारा समिति के समक्ष स्वयं किया जाये। • प्रदेश में नये चिन्हित 06 पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच हेतु एक्शन प्लान को शीघ्र ही अनुमोदित कराकर क्रियान्वित किया जाये। • समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आगामी कुम्भ 2025 के दृष्टिगत एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. की कड़ी निगरानी की जाये तथा डिफॉल्टर एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। (कार्यवाही-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
एजेन्डा बिन्दु संख्या-6 नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सीवरज परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति।	समिति द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरज परियोजनाओं का संज्ञान लेते हुये निर्देश दिये गये कि प्रदेश में निर्माणाधीन एस.टी.पी. की समस्त परियोजनाओं को कुम्भ-2025 से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। (कार्यवाही-समस्त सम्बन्धित विभाग)
एजेन्डा बिन्दु संख्या-7 राज्य में एस.टी.पी. के संचालन की स्थिति।	• समिति द्वारा प्रदेश में संचालित एस.टी.पी. की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देश दिये गये कि सभी नॉन कम्प्लायेंट एस.टी.पी. का शीघ्र ही कम्प्लायेंट सुनिश्चित कराया जाये। • प्रदेश में संचालित 134 एस.टी.पी. की सूची में से उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 4 एम.एल.डी. बांदा एस.टी.पी. को सूची से बाहर किये जाने पर सहमति

	प्रदान की गई। (कार्यवाही- समस्त सम्बन्धित विभाग/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-8</u> राज्य में सी.ई.टी.पी. के संचालन की स्थिति।	राज्य में संचालित सी.ई.टी.पी. की अद्यतन स्थिति का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-9</u> अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग/Grossly Polluting Industries (GPI) की निगरानी एवं अनुश्रवण प्रक्रिया एवं पर्यावरणीय अनुपालन।	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-10</u> प्रदेश में गंगा व उसकी मुख्य सहायक नदियों में उपस्थित राष्ट्रीय जल जीव डॉलफिन के संरक्षण के रणनीति/कार्ययोजना एवं जलागम आर्द्रभूमि (फ्लड प्लेन वेटलैंड्स) के संरक्षण/ पुनरुद्धार हेतु किये जा रहे प्रयास के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-11</u> जिला गंगा समिति:- 1. जिला गंगा समिति के सचिवालयों की स्थापना/District Project Officers की तैनाती / Project Assistant की तैनाती। 2. मुरादाबाद एवं बरेली जनपदों के लिए W.W.F. द्वारा तैयार किये गये जिला गंगा प्लान का समिति द्वारा अनुमोदन।	- जिन जिला गंगा समितियों में District Project Officers की नियुक्ति प्रक्रिया अपूर्ण है, वहां नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए डीपीओ की तैनाती करायी जाये एवं State Project Assistant की नियुक्ति प्रक्रिया को भी शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। - समिति द्वारा मुरादाबाद एवं बरेली जनपद के लिए W.W.F. द्वारा तैयार किये गये जिला गंगा प्लान का अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाही-राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, लखनऊ)
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-12</u> राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य कृषि विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास।	समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।
<u>एजेन्डा बिन्दु संख्या-13</u> जनपद गाजियाबाद में बंधला कैनाल ड्रेन एवं इन्दिरापुरी ड्रेन से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम की कार्य योजना।	समिति द्वारा जनपद गाजियाबाद में उल्लिखित नालों में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी उद्योगों में ई.टी.पी. की स्थापना किये जाने अथवा औद्योगिक इकाईयों को प्रतिस्थापित करते

	हुए सी.ई.टी.पी. बनाये जाने इत्यादि विकल्पों पर विचार करते हुए उक्त नालों से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम हेतु कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
एजेन्डा बिन्दु संख्या-14 राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0 में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का संज्ञान लेते हुये निर्देश दिये गये कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0 में लम्बित रिक्त पदों पर नियुक्ति राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0 स्तर से ही कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन के स्तर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को यथाशीघ्र पत्र प्रेषित किया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन- 30प्र0/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2)
एजेन्डा बिन्दु संख्या-15 नदियों के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण, न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखने एवं रिवर बेड में अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 को नोडल विभाग बनाते हुए नदियों के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण, उनमें न्यूनतम ई-फ्लो बनाये रखने एवं रिवर बेड में अतिक्रमण हटाये जाने संबंधित को निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,30प्र0)
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं रिपोर्ट दाखिल करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 को नोडल विभाग नामित किये जाने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,30प्र0)

उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयोंपरान्त बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

संलग्नक:यथोक्त।

Digitally Signed by अनुराग
धीबास्तव.

Date: 16-03-2024 14:20:43
(अनुराग, श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन
नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-2
संख्या-230/76-2-2024-05एनजी/2020
लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
15. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण।
16. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
17. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
18. कार्यकारी निदेशक (प्रशा0), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

Digitally Signed by Arun

(अरुण कुमार)

दिनांक 18-03-2024 13:30:43

Reason: Approved

